भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1757

13 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात का मूल्य निर्धारण किया जाना

1757. श्री के. जे. एल्फोंस:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान इस्पात की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस देश में इस्पात की कीमतों को निर्धारित करने के लिए कोई इस्पात मूल्य-निर्धारण संघ प्रचालनरत है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मूल्य-निर्धारण संघ को जवाबदेह बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ कीमतें माँग और आपूर्ति, बाजार की वैश्विक दशाओं, कच्चे माल की कीमतों में रुझानों, लॉजिस्टिक लागत, विद्युत और ईंधन लागत इत्यादि से निर्धारित होती हैं। कीमत निर्धारण जैसे वाणिज्यिक निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा बाजार की गतिविधियों के दृष्टिगत खुद से लिए जाते हैं। नवंबर, 2021 तथा नवंबर, 2019 के दौरान लोहा और इस्पात के मुख्य मदों की औसत बाजार कीमत (खुदरा) (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नवत् है:-

मद	**जेपीसी औसत बाजार कीमत (खुदरा) (जीएसटी को छोड़कर) (रुपये/टन में कीमतें)**		
	नवंबर'19	**नवंबर'20**	**नवंबर'21**
पिग आयरन	28225	33786	46625
पेंसिल इनगोट्स	27943	32689	46237
वायर रॉड्स 8एमएम	35324	40909	55388
राउंड्स 12 एमएम	34441	39403	55540
टीएमटी 10 एमएम	35464	39398	57314
प्लेट्स 10एमएम	35460	42875	69852
एचआर क्वायल्स 2.00 एमएम	36358	45462	71623

[स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)]

****